

सुपरिटेण्डेन्ट

डिस्ट्रिक्ट जेल

देहरादून।

चूंकि पुत्र श्री
 निवासी थाना
 जिला थाना
 मैं तुम्हारे सुपुर्द अपराध संख्या थाना
 दिनांक धारा
 न्यायालय किया गया है।

एक जमानत

चूंकि उक्त लिखित मुलजिम को इस न्यायालय में

दो जमानत

रूपसे

पर छोड़ने का आदेश दिया है।

और चूंकि उक्त लिखित मुलजिम ने जमानत दे दी है। अतः आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी सुपुर्दगी से उक्त लिखित मुलजिम को एक मुचलका जो साथ नत्थी है देने पर छोड़ दें। जब उक्त लिखित मुलजिम को किसी अन्य कारण वश रोक जाना आवश्यक हो तो उसको सूचित किया जावे कि वह स्वयं दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होवे।

मेरे हस्ताक्षर या न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक
 ईसवी को यह आदेश जारी किया गया।

माह

सन्